The Bihar Lift and Escalators Act, 2024

Act No. 14 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 735) पटना, मंगलवार, 6 अगस्त 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–13/2024–**4823**/लेजः।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 05 अगस्त, 2024 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 14, 2024)

बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024

बिहार राज्य में लिफ्टों और एस्केलेटरों के सभी वर्गों और उनसे संबंधित सभी मशीनरी और उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रख–रखाव तथा निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष मे बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–

(1) यह अधिनियम बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2024 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में निर्गत अधिसूचना में यथा नियत तारीख में प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएँः– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तो, तब तक इस अधिनियम मेंः–

(क) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ख) **"निरीक्षक"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम, 2003 का 36) की धारा–162 की उपधारा–(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह मुख्य विद्युत निरीक्षक, जिसमें विद्युत निरीक्षक भी शामिल है, जिसकी अधिकारिता में यह लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन स्थल आता है;

(ग) **"मालिक"** से अभिप्रेत है सोसाईटी या संगम या किरायेदार जो, संपूर्ण परिसर या उसके किसी भाग के मालिक या अधिभोगी या अभिधारी जिसने निबंधन के लिए आवेदन किया है;

(घ) **"सवारी"** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो अपने परिवहन के प्रयोजनार्थ लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग करता है;

स्पष्टीकरणः– इस खण्ड के प्रयोजनार्थ लिफ्ट परिचालक भी सवारी माना जायेगा।

(ङ) **"ऊर्जा"** से किसी भी प्रकार की ऐसी ऊर्जा से अभिप्रेत है जो मानव या पशु ऊर्जा से उत्पन्न न हुई हो;

(च) **"परिसर"** से अभिप्रेत है, कोई संरचना चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी और जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किया गया है;

(छ) **"निबंधन"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा–4 के अधीन निरीक्षक द्वारा लिफ्ट या एस्केलेटर की संख्या नियत करना;

(ज) **"लिफ्ट"** से अभिप्रेत है, ऊर्जा से परिचालित ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए पिंजरानुमा यंत्र प्रणाली, वास्तव में जिसका उपयोग सवारी या माल या दोनों को ढोने के लिए किया जाता है;

(झ) **"लिफ्ट पिंजरा"** से अभिप्रेत है लिफ्ट का कार या पिंजरा जिसका उपयोग सवारी या माल या दोनों के परिवहन के लिए किया जाता है;

(ञ) **"लिफ्ट अधिष्ठापन"** में शामिल है लिफ्ट पिंजरा, लिफ्ट मार्ग, लिफ्ट मार्ग का घेरा एवं लिफ्ट परिचालन की यांत्रिक प्रणाली तथा रज्जु, केबल, तार, सुरक्षा उपबंध तथा लिफ्ट परिचालन से संबंधित यंत्र एवं मशीनरी;

(ट) **"लिफ्ट मार्ग"** से अभिप्रेत है, धूरा या हविश जिसमें लिफ्ट पिंजरा आता जाता है;

(ठ) **"लिफ्ट मार्ग घेरा"** में शामिल है लिफ्ट मार्ग के चारो ओर या बंद करने के लिए वास्तविक संरचना;

(ड) **"विहित"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ढ़) **"स्वचालित बचाव यंत्र"** से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली जिसमें यदि भवन में बिजली चली जाती है तो लिफ्ट अपने निकटतम सतह पर रूक कर खुल जायेगा;

(ण) **"आपातकालीन बचाव यंत्र"** से अभिप्रेत है, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत यंत्र, जो गगनचुंबी भवनों में बिजली की खराबी/ठप्प हो जाने की दशा में तथा लिफ्ट को उतरने, रोकने तथा किसी भी मंजिल पर लिफ्ट केज डोर के खुलने में पर्याप्त बैक–अप देता है तथा विस्तारित समय जो कम से कम पन्द्रह मिनट होगा, ताकि नियमित संचालन में रहता है, लिफ्ट की बिजली की 3–फेज आपूर्त्ति प्रदान करता है;

(त) **"एस्केलेटर"** से अभिप्रेत है सवारियों को ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए बिजली पर निरंतर चलने वाली सीढ़ी;

(थ) **"लिफ्ट पिट"** से अभिप्रेत है कि लिफ्ट में सबसे कम लिफ्ट लैंडिंग के स्तर से काफी नीचे की जगह;

(द) **"बैलस्ट्रेड्"** से अभिप्रेत है एस्केलेटर का एक हिस्सा, जो स्थिरता प्रदान करके उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिष्चित करता है, चलने वाले हिस्सों से बचाता है और रेलिंग का समर्थन करता है;

(ध) **"रेटेड लोड" या "कॉन्ट्रेक्ट लोड"** का मतलब उस लोड से है जिस पर लिफ्ट को स्वीकृत डायग्राम में निर्दिष्ट अनुसार चलने के लिए डिजाइन किया गया है;

(न) लिफ्ट के मामले में **"रेटेड गति"** से अभिप्रेत है, लिफ्ट कार की ऊपर और नीचे की दिशा में यात्रा के किसी भी हिस्से में अधिकतम गति जिसके लिए लिफ्ट उपकरण डिजाइन किया गया है और एस्केलेटर के मामले में दिशा में गति का मतलब है चरणों, पट्टियों या बेल्ट की आवाजाही जिसके लिए एस्केलेटर को अनुमोदित आरेख में निर्दिष्ट किया गया है;

(प) **"धारा"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा;

(फ) **"नियम"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम;

3. पदाधिकारियों और पदधारियों की नियुक्तिः—

(1) सरकार द्वारा सौंपे गये कृत्यों के निष्पादनार्थ या इस अधिनियम के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक मुख्य विद्युत निरीक्षक और यथा आवश्यक निरीक्षकों, अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों की नियुक्ति करेगी, जो यथा विहित अर्हता रखते हो;

(2) मुख्य विद्युत निरीक्षक राज्य के निरीक्षकों और अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों पर आम अधीक्षण एवं नियंत्रण रखेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक निदेश निर्गत करेगा;

4. निबंधनः—

(1) लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के पश्चात उसका मालिक एक माह के भीतर ऐसी लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन हेतु यथा विहित शुल्क के साथ विहित फारम में आवेदन करेगा। शुल्क अप्रतिदेय होगा;

(2) उपधारा (1) के तहत सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षक 30 दिनों के भीतर लिफ्ट या एस्केलेटर की, जैसा आवश्यक हो निरीक्षण करेगा और संख्या नीयत करते हुए इन्हें निबंधित करेगा;

(3) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन हेतु किसी लिफ्ट या एस्केलेटर रख–रखाव कम्पनी द्वारा की गई संविदा या व्यवस्था को प्रमाण स्वरूप देते हुए लिफ्ट या एस्केलेटर के वार्षिक रख–रखाव की संविदा या की गई कोई अन्य व्यवस्था की प्रति प्रत्येक वर्ष निरीक्षक को देगा।

(4) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन के लिए यथा विहित फारम में एवं रीति से सभी वार्षिक सुरक्षा प्रमाण पत्र देगा;

5. आपातकालीन बचाव यंत्र और स्वचालित बचाव यंत्रः—

(1) स्वामी बिजली की आपूर्त्ति ठप होने की दशा में यात्रा कर रहे यात्रियों के बचाव के लिए लिफ्ट को किसी निकटवर्त्ती मंजिल पर लाने, लिफ्ट रोकने तथा उतरते समय ध्यान रखने तथा लिफ्ट केज डोर को खोलने के लिए स्वचालित बचाव यंत्र एवं ग्रुप हाऊसिंग, घरेलू या किसी अन्य भवन को छोड़कर पंद्रह मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले गगनचुंबी भवन के लिए आपातकालीन बचाव यंत्र को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा;

(2) स्वामी को बिजली आपूर्त्ति ठप होने की दशा में यात्रा कर रहे यात्रियों के बचाव के लिए लिफ्ट के नजदीकी किसी मंजिल पर लाने, लिफ्ट को रोकने, लिफ्ट से उतरते समय ध्यान रखने तथा लिफ्ट केज डोर खोलने, जैसी भी स्थिति हो, पन्द्रह मीटर से कम ऊँचाई वाले ग्रुप हाउसिंग भवन, घरेलू या किसी अन्य भवन के लिए स्वचालित बचाव यंत्र आवश्यक तथा आपात बचाव यंत्र की व्यवस्था करने का विकल्प होगा;

6. **वैकल्पिक बिजली आपूर्त्ति प्रणाली ।**—बिजली चली जाने की दशा में लिफ्ट का कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए मालिक 30 सेकेंड के भीतर वैकल्पिक स्वचालित बिजली आपूर्त्ति प्रणाली की व्यवस्था करेगा।

7. **निरीक्षण।**—निरीक्षक या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या अभिकरण द्वारा निबंधित प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर का निरीक्षण तीन वर्षो में एक बार किया जायेगा। ऐसे निरीक्षण के लिए किसी अन्य विद्युत अधिष्ठापन जाँच शुल्क के अतिरिक्त विहित शुल्क लिया जायेगा। जबकि प्राधिकृत एजेन्सी/मरम्मतकर्त्ता द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार इसकी जाँच/सम्पोषण कराया जाना आवश्यक होगा।

8. व्यवहार संहिताः—

(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के जिए भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत व्यहार संहिता, यदि कोई हो का पालन किया जायेगा, (जिसमें राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता भी शामिल है) तथा कोई असंगति पायी जाने की दशा में इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध अभिभावी होगा;

(2) प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरण संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश से संपुष्ट होंगे, जहाँ एसे विनिर्देश पहले ही अधिकथित है;

(3) परिसरों में अधिष्ठापित किये जाने वाले लिफ्टों या एस्केलेटरों की संख्या और उनके बीच की परस्पर दूरी भारतीय मानक ब्यूरो एवं राष्ट्रीय भवन संहिता की सुसंगत व्यवहार संहिता से शासित होंगे;

9. विद्यमान लिफ्टों या एस्केलेटरों का निबंधनः–

(1) धारा–4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा प्रत्येक मालिक जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व परिसरों में लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन किया है वह इसके प्रभावी होने के छः माह की अवधि के भीतर ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन के लिए आवेदन करेगा;

(2) ऐसे आवेदन पर धारा–4 की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के उपबंध लागू होंगे;

10. निरीक्षण के लिए किसी भवन में प्रवेश करने का अधिकार।–कोई निरीक्षक सभी उपयुक्त समय में सरकारी सेवा में रहने वाले किसी सहायक, यदि कोई हो, के साथ जैसा वह उचित समझे, किसी ऐसे परिसर में जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये हैं अथवा जिनके निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं लिफ्ट या एस्केलेटर या उनके अधिष्ठापन या उनके कार्यस्थल के निरीक्षण के लिए प्रवेश कर सकते है।

11. असुरक्षित अवस्था वाले लिफ्ट या एस्केलेटर।–धारा–7 के अधीन निरीक्षण करने के उपरांत यदि निरीक्षक यह पाता है कि किसी भवन का कोई लिफ्ट या एस्केलेटर असुरक्षित अवस्था में है, तो वह ऐसे मालिक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे लिफ्टों या एस्केलेटरों की यथा आवश्यक मरम्मत या परिवर्तन कराने का निदेश दे सकता है अथवा वह उसका उपयोग तब तक रोक सकता है, जब तक कि उसका समाधान न हो जाय कि ऐसी मरम्मत या परिवर्तन करा लिये गये हैं या असुरक्षित अवस्था दूर कर ली गई है।

12. सील करना :–

(1) कोई लिफ्ट या एस्केलेटर जिसके संबंध में धारा–11 के अधीन कोई निर्देश निर्गत किया गया है, उसका निरीक्षक के समाधान होने तक पालन नहीं किया गया है, ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर को यदि उसी अवस्था में चलता हुआ पाया जाता है, तो निरीक्षक द्वारा उसे सील करने का आदेश दिया जा सकता है;

(2) उपधारा–(1) के अधीन किये गये आदेश के विरूद्ध कोई अपील मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के पास की जायेगी और उनका निर्णय अंतिम होगा;

13. बीमा।–ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन पूरा होने के पश्चात मालिक को तृतीय पक्ष बीमा सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा ताकि उसका उपयोग करने वाले सवारियों का जोखिम आच्छादित हो सकें।

14. कर्मपुस्ती और प्रतिवेदनः–

(1) मालिक प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कर्मपुस्ती संधारित करेगा तथा उसमें परिचालन ठप हो जाना (विद्युत आपूर्त्ति चली जाने से भिन्न) और दुर्घटना, यदि कोई हो, तो दर्ज करेगा। इस कर्मपुस्ती का निरीक्षण निरीक्षक द्वारा जब और जैसे चाहें किया जा सकता है;

(2) जब कभी किसी ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के परिचालन पद्धति में कोई दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है, तो मालिक 24 घंटे के भीतर दुर्घटना का पूरा ब्यौरा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कार्य करने वाले निरीक्षक को यथा विहित फारम में देगा और निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना इसे पुनः चालू नहीं करेगा;

15. समवर्ती दाायित्व।–ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के किसी सुरक्षा उपबंध के ठीक से कार्य नहीं करने के चलते दुर्घटना होने की दशा में यथास्थिति, लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन या रख–रखाव कम्पनी पर भी अभियोजन चलाया जा सकता है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन दण्ड का भागी ठहराया जा सकता है।

16. बंद होने की सूचना देना।–यदि किसी भवन में जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये हैं, वह कार्य नहीं करता है तो मालिक द्वारा इसकी सूचना एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को दी जायेगी।

17. जीवन विस्तार।– परिसरों में अधिष्ठापित लिफ्ट या एस्केलेटर को उसके अधिष्ठापन के बीस वर्षों की अवधि के पश्चात मालिक द्वारा बदल दिया जायेगा। ऐसा बदलाव लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के 21वें वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा तथा मालिक धारा–4 के अधीन नया निबंधन के लिए आवेदन करेगा;

18. शिथिल करने की शक्ति।–सरकार लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध को ऐसी शर्त के अध्यधीन, जो वह उचित समझे शिथिल कर सकती है;

19. शक्तियों का प्रत्यायोजन।–सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत शक्तियों को किसी ऐसे पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

20 शास्ति।–जो कोई इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह दोष सिद्धि होने पर तीन माह तक का कारावास या पचास हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा तथा लगातार उल्लंघन करने पर प्रथम बार ऐसे उल्लंघन के दोष सिद्ध के पश्चात जारी उल्लंघन के दौरान प्रतिदिन एक हजार रूपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।

21. अपराध का संज्ञान।–इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद के अलावे कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।–इस अधिनियम या एतद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुपालन में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने से आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेंगी।

23. नियम बनाने की शक्ति :–

(1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है;

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी बात का उपबंध किया जा सकता है :–

(क) लिफ्टों या एस्केलेटरों के लिए विनिर्देश;

(ख) रीति, जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर की परिनिर्माण योजना प्रस्तुत की जाती है;

(ग) रीति, लिफ्टों या एस्केलेटरों की जाँच की जाती है;

(घ) लिफ्ट या एस्केलेटर के परिनिर्माण हेतु अनुमति का आवेदन प्रपत्र तथा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का (कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति;

(ङ) धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन भेजे जाने वाले समापन प्रतिवेदन का फारम;

(च) शर्त्ते एवं बंधेज और निर्बंधन और फारम जिनके अध्यधीन लिफ्टों या एस्केलेटरों की अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है तथा ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए भुगतान किये जाने वाले शुल्क;

(छ) रीति और बंधेज जिनके अध्यधीन लिफ्ट या एस्केलेटर कार्य करेंगे;

(ज) रीति, जिसमें धारा–14(2) के अधीन दुर्घटना की सूचना दी जायेगी;

(झ) अपील करने का फारम एवं रीति; और

(ञ) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है;

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जायेगा, जब वह सत्र में हो, यदि सदन सहमत हो जाता है कि नियम में उपांतरण किया जाय अथवा नियम बनाया ही नहीं जाय, तो नियम यथास्थिति, उपांतरित रूप से प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा तथापि ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

24. व्यावृति।–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या एतद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों पर प्रभावी नहीं होगी।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

---

6 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–13/2024–**4824**/लेजः।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा dated-05th August, 2024 को अनुमत बिहार लिफट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 14, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान क अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 14, 2024)

The Bihar Lift And Escalators Act, 2024

AN

ACT

to provide for the regulation of the construction, installation, maintenance and safe working of all classes of lifts and escalators and all machinery and apparatus pertaining thereto in the State of Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Fifth year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement.***—

(1) This Act may be called The Bihar Lift and Escalators Act, 2024.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date, as the state Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. ***Definitions.*** *- In this Act unless the context otherwise requires-*

(a) ***"Government"*** means the Government of the State of Bihar;

(b) ***"Inspector"*** means an officer appointed by State Government and also includes chief electrical Inspector under Sub-Section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003), who has Territorial Jurisdiction or as authorised over the place of installation of a lift or an escalator;

(c) ***"owner"*** means an owner or occupier or office bearer of a society or an association, or a tenant, of the whole or part of a premises, who has applied for registration;

(d) ***"passenger"*** means any person who uses the lift or escalator for the purpose of his conveyance;

Explanation. - For the purpose of this clause, a lift operator shall also be treated as a passenger;

(e) power means any form of energy which is not generated by human or animal energy;

(f) ***"premises"*** means any structure, whether temporary or permanent, where a lift or escalator is installed;

(g) ***"registration"*** means assignment of a number to a lift or escalator by the Inspector under Section 4 of this Act.

(h) ***"lift"*** means a hoisting and lowering mechanism equipped with a cage which moves in an upward and downward direction, and work on power and is designed or is actually used to carry passengers or goods, or both;

(i) ***"lift cage"*** means a car or a cage of a lift used for the conveyance of passengers or goods, or both;

(j) ***"lift installation"*** includes a lift cage, a lift way, a lift way enclosure, and an operating mechanism of the lift and ropes, cables, wires, safety provisions and plant and machinery connected with the operation of the lift;

(k) ***"lift way"*** means a shaft or hoist way in which the lift cage travels;

(l) ***"lift way enclosure"*** includes any substantial structure surrounding or enclosing the lift way;

(m) ***"prescribed"*** means prescribed by rules made under this Act;

(n) ***"automatic rescue device"*** means a device which, in case of power failure in the building, enables the lift to land and stop at the nearest landing floor and keeping the landing and open lift cage doors simultaneously;

(o) ***"emergency rescue device"*** means an electronic and electric apparatus which provides 3-phase emergency power supply to the lift, in case of power failure/breakdown in the high rise building and gives sufficient backup to the lift to land, stop and open the landing and lift cage doors at any floor and remain in regular operation upto the extended time which would be at least fifteen minutes;

(p) ***"escalator"*** means a moving inclined continuous stairway or runway used for raising or lowering passengers, which work on power;

(q) ***"lift pit"*** means the space in the lift well below the level of the lowest lift landing served;

(r) ***"balustrade"*** means a part of the escalator which ensures the user's safety by providing stability, protecting from moving parts and supporting the handrail;

(s) ***"rated load"*** or "contract load" means the load at which the lift is designed to move as specified in the approved drawings;

(t) ***"rated speed"*** in case of a lift means maximum speed of the lift car in any part of its travel in up and down direction for which the lift equipment has been designed and in case of an escalator means a speed in the direction of the movement of the steps, pallets or belt for which the escalator has been designed as specified in the approved drawing;

(u) ***"section"*** means a section of this Act;

(v) *"rules"* means rules made under this Act;

3. ***Appointment of officers and officials.—***

(1) The Government may by notification in the Official Gazette, appoint a Chief Electrical Inspector and as many Inspectors and other officers and officials, as may be necessary, having such qualifications as may be prescribed, for the purpose of performing the functions assigned to them by or under this Act.

(2) The Chief Electrical Inspector shall have general superintendence and control over the Inspectors and other officers and officials in the State and may issue necessary directions for carrying out the purpose of this Act.

4. ***Registration.—***

(1) Every owner shall, within a period of one month after the completion of the installation of a lift or an escalator, apply for registration for such lift or escalator, in such form and manner along with such fee as may be prescribed. The fee shall be non-refundable.

(2) On Receipt of an application accompanied by such fees, complete in all respects, under sub-section (1), the Inspector shall inspect as may be necessary and register the lift or escalator, by assigning a number to it within a period of thirty days.

(3) Every owner of a lift or escalator, shall submit every year a copy of annual lift or escalator maintenance contract or any other arrangement made for maintenance of lifts and escalators to the Inspector in token of having the contract or arrangement made with any lift or escalator maintenance company for the smooth and safe running of the lift or escalator.

(4) Every owner of a lift or escalator shall also furnish an annual safety certificates in such form and manner as may be prescribed for the smooth and safe running of the lift or escalator.

5. ***Emergency rescue device and automatic rescue device:-***

(i) The owner shall make arrangement to provide the automatic rescue device and emergency rescue device for high rise building having height more than fifteen meters excluding group housing, domestic or any other building to rescue the travelling passengers trapped in the lift in the event of breakdown of power supply by bringing the lift to nearest/any floor, stopping the lift and keeping the landing and lift cage doors open.

(ii) The owner shall have to provide automatic rescue device or emergency rescue device or both for group housing building, domestic or any other building having height less than fifteen meters to rescue the travelling passengers trapped in the lift in the event of breakdown of power supply by bringing the lift to nearest/any floor, stopping the lift and keeping the landing and lift cage doors open, as the case may be.

6. ***Alternate power supply system.—*** The owner shall make arrangements to provide for alternative automatic power supply system to ensure the functioning of the lift in the event of breakdown of power supply within a period of thirty seconds.

7. ***Inspection.***—Every lift and escalator which has been registered shall be inspected once in a period of three years by the Inspector or by an officer or an agency authorized by the Government in this behalf. A fee as may be prescribed shall be charged for such inspection, in addition to any other electrical installation testing and inspection fees. Where as registered lifts shall be inspection/maintained at least once in a year by an authorised agency/repairer.

8. ***Code of practice.*** –

(1) Save as otherwise provided in this Act, the relevant code of practice of the Bureau of Indian Standards (including National Building Code and National Electric Code), if any, may be followed to carry out the purposes of this Act and in the event of any inconsistency, the provisions of this Act and the rules made there under shall prevail.

(2) The material and apparatus used shall conform to the relevant specifications of the Bureau of Indian Standards where such specifications have already been laid down.

(3) The number of lifts or escalators to be installed in a premises and the spacing between them shall be governed as per the relevant code of practice of Bureau of Indian Standards and the National Building Code.

9. ***Registration of existing lifts and escalators.*** –

(1) Notwithstanding anything contained in Section 4, every owner who has installed a lift or an escalator in premises before the date of the commencement of this Act, shall within a period of six months from such commencement, apply for a registration of such lift or escalator.

(2) The provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 4 shall, apply to such application.

10. ***Right to enter in any building for inspection.***— An inspector at all reasonable hours, with such assistants, if any, being persons in the service of the Government, as he thinks fit, may enter any premises in which a lift or an escalator is installed or in connection with which an application for registration has been received, for the purpose of inspecting the lift or escalator or their installation or the site thereof.

11. ***Lifts or escalators in an unsafe condition.***— If, upon an inspection as it is carried out under Section 7, the Inspector finds that any lift or escalator in any building is in unsafe condition, he may direct the owner requiring such repairs or alterations to be made to such lift or escalators, as he may deem necessary, within the period specified by him and may also forbid the use of such lift or escalator until such repairs or alterations are carried out or such unsafe condition is removed to his satisfaction.

12. ***Sealing.***—

(1) Any lift or escalator in respect of which a direction is issued under Section 11 has not been carried out to the satisfaction of the Inspector, such lift or escalator, in case the same is found being used may be ordered to be sealed by the Inspector.

(2) An appeal against an order under sub-section (1) shall lie to the Chief Electrical Inspector, Energy Department, Bihar, whose decision shall be final.

13. ***Insurance.***— The owner shall, after the completion of the installation of such lift or escalator, ensure third party insurance mandatory so as to cover the risk of passengers using such lift or escalators.

14. ***Log book and reporting.—***

(1) The owner shall, maintain a log book for each lift and escalator and enter therein the details of operation, break-down (other than failure in electrical supply) and accident, if any. This log book may be inspected by the Inspector as and when he desires.

(2) Whenever any accident occurs in the process of operation of any lift or escalator causing injury to any person, the owner shall, within a period of twenty-four hours of the accident, give intimation with full details of accident, in such form as may be prescribed, to the Inspector. The working of such lift or escalator, shall not be resumed except, with the written permission of the Inspector.

15. ***Concurrent liability.—*** The lift or escalator installation or maintenance company, as the case may be, may also be prosecuted and held liable for punishment under this Act in case an accident occurs in the lift or escalator, due to malfunctioning of any of the safety provisions of the lift or escalator, if attributable to such lift or escalator installation or maintenance company.

16. ***Intimation about closure.—*** If any building where lift or escalator is installed gets decommissioned, an intimation about this shall be given by the owner to the Inspector within a period of one month.

17. ***Life span.—*** A lift or escalator installed in the premises shall be replaced by the owner of the lift or escalator, after the period of twenty years of its installation. Such replacement shall be completed within the twenty-first year of the installation of the lift or escalator, and the owner shall apply for a fresh registration under section 4.

18. ***Power to relax.—*** The Government may, by order in writing, direct that any of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be relaxed subject to such conditions as it may be fit.

19. ***Delegation of powers.—*** The Government may, delegate any of its powers conferred on it by or under this Act, to such officer as it may deem fit.

20. ***Penalty.—*** Whoever contravene any of the provisions of this Act, or the rules made thereunder shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or both, and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

21. ***Cognizance of offence.—*** No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on complaint made by the Inspector, appointed under the Act.

22. ***Protection for action taken in good faith.—*** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, or of the rules made thereunder.

23. ***Power to make rules .—***

(1) The Government may, by notification in the Gazette, make rules for the purpose of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) Specifications for lifts and escalators;

(b) The manner in which erection plans of lift and escalators shall be submitted;

(c) The manner in which lifts and escalators may be tested;

(d) The form of application of permission for the erection of lift and escalators and license for working such lifts and escalators;
(e) The form of report of completion to be sent under sub-section (4) of Section 1;
(f) The term and conditions and restrictions subject to which, and the form in which, the license may be granted for the working of lifts and escalators and the fees to be paid in respect of such licence;
(g) The manner in which and the terms subject to which the lifts and escalators shall be worked;
(h) The manner in which notice of accidents shall be given;
(i) The form of notice of accidents to be given under Section 14 (2);
(j) The form and manner to file appeal; and
(k) Any other matter which is required to be, or may be prescribed, for carrying out the purpose of this Act.

(3) Every rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, if the House agree in making any modification in the rule or the House agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form, or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

24. ***Savings.***— Nothing contained in this Act shall affect the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) or the rules made thereunder.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 735-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in